Industrial Policy Resolution of the 30th April 1956 has further reiterated this view point. It has been Government's constant endeavour to implement this policy while sanctioning new industrial schemes under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. The requirements of various parts of the country are considered along with other relevant factors like the degree of essentiality and technical feasibility of these schemes and efforts are made to disperse industries on as wide a basis as possible subject to (i) the availability of raw materials, (ii) supply of water and power; (iii) transport facilities, and (iv) proximity to consuming *markets*.

It will, therefore, be evident that the desirability of developing industries on a regional basis was conceived as a matter of policy even before the suggestion of the States Reorganisation Commission and was being followed by the Planning Commission and the Government. The same policy continues.

Fertilizer Plant at Bhilai

*861. { **Shri Muhammed Elias:**
Shri Hem Raj:

Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in regard to the establishment of a Fertilizer Plant at Bhilai; and

(b) if so, whether it will be undertaken during the Second Five Year Plan period?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). There is a bye-product plant at Bhilai which is an integral part of the steel works there which will produce 16,300 tons ammonium sulphate per year. Apart from this there is no proposal to put up a Fertiliser Plant in Bhilai.

Damages to Indian and Japanese Property during War

*863. { **Shrimati Ila Palchoudhuri:**
Shri Aurobindo Ghosal:

Will the Minister of **Commerce and** *Industry be pleased to state:*

(a) whether payment of indemnities by the Japanese Government for damages done to Indian property in Japan during World War II has been completed;

(b) if so, the total amount received;

(c) whether any damages were caused to Japanese property also in this country during war period; and

(d) if so, the amount of indemnity which the Government of India have paid to the Government of Japan?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 36 lakhs.

(c) Yes, Sir.

(d) Rs 3,743

नेहरू-नून समझौता

*८६४. { श्री रघुनाथ सिंह
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सरजीत सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से सम्बन्धित नेहरू-नून समझौते की कितनी धाराओं को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(ख) अभी कितनी धाराओं को कार्यरूप देना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सितम्बर १९५८ में जो क़रार हुआ था, उसके अन्तर्गत

पूर्व-पाकिस्तान से सम्बद्ध मामलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(१) पाकिस्तान ने निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में विवादों को समाप्त करने की स्वीकृति दी, ये क्षेत्र भारत में ही रहे हैं

(क) हिल्ली

(ख) रेडक्लिफ रेखा से लगे हुए पुराने कच-बिहार राज्य के दो चिटलैंड

(ग) बोलागंज

(२) बागे अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के निर्णय के अनुसार विवाद १ और २ में उल्लिखित जिन क्षेत्रो पर गलत तरीके से कब्जा था, उनका आदान-प्रदान १५ जनवरी, १९५९ को किया गया, यह भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियो के बीच हुए करार में निहित था। ये क्षेत्र निम्नलिखित प्रदेशो में हैं

(क) मुर्शिदाबाद (पश्चिम बगाल) जिले और राजशाही (पूर्व पाकिस्तान) जिले के बीच की सीमा, इसमें नवाबगज थाना और विभाजन-पूर्व माल्दा जिले का शिवगज थाना शामिल है।

(ख) दोनो डुमीनियनो के बीच समान सीमा का वह भाग जो, रेडक्लिफ निर्णय के अनुसार, गगा नदी के उस स्थल पर जहा से माताभगा नदी की धारा निकलती है और सुदूर उत्तरी स्थल पर जहा वह धारा दौलतपुर और करीमपुर के बीच की सीमा से जा मिलती है, स्थित है।

(३) पाकिस्तान में आने वाली पुराने कूच-बिहार की बस्तियो और भारत स्थित पाकिस्तानी बस्तियों का आदान-प्रदान।

(४) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बेरुबाड़ी यूनियन सं० १२ के आधे भाग का पाकिस्तान को स्थानान्तरण।

उपर्युक्त (३) और (४) के सम्बन्ध में आवश्यक कानून उचित समय पर ससद् में प्रस्तुत किया जायगा।

(५) रेलवे लाइन के पश्चिम में भूमि और भागलपुर, त्रिपुरा में रेलवे लाइन से लगी हुई भूमि का पाकिस्तान को स्थानान्तरण। रेखाकन से पहले त्रिपुरा प्रशासन उक्त भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है।

(६) २४-परगना—खुलना } के सीमा
२४-परगना—जैसोर } विवाद।

प्रधान मंत्रियो का निर्णय यह था कि जहां तक सभव हो सके, इच्छामती नदी को ही आधार मानकर, दोनो मामलो मे मध्य स्थिति को अपनाया जाय।

(७) पियाग और सरमा नदियां। प्रधान मंत्रियो का निर्णय यह था कि पूर्व अधिसूचनाओ (नोटिफिकेशस) के अनुसार रेखाकन किया जाय, लेकिन हर सूरत में दोनो देशो के राष्ट्रिको को नौवहन की पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त (६) और (७) के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(८) पथरिया वन सुरक्षित क्षेत्र में वास्तविक प्राप्ति रेखा पर करार होने के साथ ही पाकिस्तान, तुकेरग्राम को खाली करेगा और इस उद्देश्य के लिए आसाम तथा पूर्व पाकिस्तान के मुख्य वन सरक्षक (चीफ कनजरवेटर आफ़ फारेस्ट) और मुख्य सचिव आपस में मिलें। २९ नवम्बर १९५८ को दोनो मुख्य वन संरक्षको की मीटिंग हुई थी और चूंकि उनमें कोई समझौता न हो सका, इसलिए आसाम सरकार ने सुझाव दिया है कि मुख्य सचिवों के बीच एक मीटिंग हो।